भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2995

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

2995. **श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों और वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की छत्तीसगढ़ के लिए जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का छत्तीसगढ़ के लिए जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिर्माण, सेवा और अन्य श्रेणियों सहित इस योजना के अंतर्गत स्थापित उद्यमों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्षेत्र-वार रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अनुमोदन दरों में सुधार लाने, ऋण वितरण को समय पर सुलभ बनाने और आकांक्षी, ग्रामीण और जनजातीय जिलों में इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): विगत पांच वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत आवेदनों और वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों तथा संवितरित एवं उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएम) का राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार और छत्तीसगढ़ राज्य का जिला-वार ब्योरा **अनुलग्नक-I** में है।

(ग): विगत पांच वर्षों के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कुल 1,90,156 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई, जिससे लगभग 17.11 लाख व्यक्तियों के लिए टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित हुए। इसी प्रकार, सेवा/ट्रेडिंग सेक्टर के अंतर्गत 2,13,550 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई, जिससे लगभग 19.22 लाख व्यक्तियों के लिए टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित हुए।

(घ): पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृति दर में सुधार, समयबद्ध ऋण प्रवाह को सुगम बनाने तथा विशेष रूप से आकांक्षी, ग्रामीण एवं जनजातीय जिलों में स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. विशेष श्रेणी लाभार्थी के अंतर्गत वर्गीकृत आकांक्षी जिलों और अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से जुड़े लाभार्थीगण परियोजना लागत के लिए उच्च एमएम सब्सिडी और स्वयं के कम अंशदान के लिए पात्र हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लाभार्थीगण भी समान लाभों के लिए पात्र हैं।

ii. संभावनाशील लाभार्थियों को तत्क्षण सहायता और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्प-डेस्क की स्थापना।

iii. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की विस्तृत श्रृंखला पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

iv. एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा। सभी वित्तपोषण बैंकों से स्पष्ट कहा गया है कि वे इस उपबंध का सख्ती से अनुपालन करें।

v. पीएमईजीपी पोर्टल को समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जिसे जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से वित्तपोषण करने वाले बैंकों से एकीकृत किया गया है। इससे आवेदकों को आवेदन स्वीकृति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से जानकारी प्रदान करने को सुव्यवस्थित किया गया है।

vi. ऋणों की उचित संस्वीकृति और एमएम सब्सिडी के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जोनल स्तरों पर बैंकर्स समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

vii. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात केवीआईसी, केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), राज्य जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और वित्तीय संस्थानों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन।

viii. संभावनाशील लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए एससी/एसटी बाहुल्य वाले क्षेत्रों सहित राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन।

अनुलग्नक-I

लोक सभा में दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2995 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत आवेदनों और वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों तथा संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएम) का राज्य/संघराज्य-वार ब्योरा:

क्र.सं.	राज्य	बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	संवितरित एमएमम सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान निकोबार	1694	1080	535	7.42
2	आंध्र प्रदेश	75587	33919	21155	764.75
3	अरुणाचल प्रदेश	2913	1002	823	50.83
4	असम	53308	16808	14456	356.01
5	बिहार	121169	33482	23417	679.74
6	चंडीगढ़	318	74	55	1.64
7	छत्तीसगढ़	39803	14900	10907	328.52
8	दादरा नगर हवेली	46	23	14	0.77
9	दमण और दीव	59	43	19	1.32
10	दिल्ली	1232	381	268	13.84
11	गोवा	541	433	289	12.12
12	गुजरात	20205	16276	13811	1254.69
13	हरियाणा	28846	10124	6565	303.42
14	हिमाचल प्रदेश	11403	7052	4876	165.95
15	जम्मू कश्मीर	153297	98982	66436	1384.4
16	झारखंड	36092	10410	7951	200.8
17	कर्नाटक	112204	33669	22842	714.79
18	केरल	37052	23234	13966	336.9
19	लद्दाख	1248	922	825	36.3
20	लक्षद्वीप	24	12	9	0.19
21	मध्य प्रदेश	60264	26024	23843	756
22	महाराष्ट्र	80613	25462	15169	630.89
23	मणिपुर	11174	3639	3043	81.43
24	मेघालय	10841	4385	3150	83.46
25	मिजोरम	4291	2486	2290	75.24
26	नागालैंड	8817	4539	4091	118.62
27	ओडिशा	71335	23347	16056	460.37
28	पुदुचेरी	678	304	182	4.77
29	पंजाब	27270	11087	7150	372.89
30	राजस्थान	32781	14727	8885	523.74
31	सिक्किम	2866	1762	905	30.7
32	तमिलनाडु	134474	52522	30091	862.59
33	तेलंगाना	56542	19795	12462	503.36
34	त्रिपुरा	8338	4126	3611	87.43
35	उत्तर प्रदेश	126285	60739	48663	1748.27
36	उत्तराखंड	14327	7689	6301	173.74
37	पश्चिम बंगाल	35593	12002	8595	324.93

विगत पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत आवेदनों और वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों तथा संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएम) का जिला-वार ब्योरा:

क्र.सं.	जिला	बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	संवितरित एमएमम सब्सिडी (लाख रुपये में)
1	बालोद	1152	528	379	819.08
2	बलौदाबाजार	1616	649	436	894.54
3	बलरामपुर	861	250	178	327.04
4	बस्तर	1429	507	372	799.68
5	बेमेतरा	1090	444	360	988.71
6	बीजापुर	506	164	114	213.29
7	बिलासपुर	3818	932	690	2405.22
8	दंतेवाड़ा	595	243	173	440.03
9	धमतरी	1745	676	510	1304.95
10	दुर्ग	2066	776	492	1692.68
11	गरियाबंद	1077	465	316	912.59
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	632	148	103	286.41
13	जांजगीर-चंपा	2506	1025	811	2465.77
14	जशपुर	1023	346	241	652.06
15	कांकेर	1514	550	431	918.83
16	कवर्धा	1194	640	499	2478.74
17	खैरगढ़ छुईखदान गंडई	158	65	17	30.45
18	कोंडागांव	1080	497	422	777.42
19	कोरबा	1895	544	410	1113.52
20	कोरिया	1231	439	356	978.97
21	महासमुंद	807	367	264	1301.98
22	मनेन्द्रगढ़ चिरिमिरी भारतप	208	59	20	49.79
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	184	98	46	93.7
24	मुंगेली	1541	559	430	1226.74
25	नारायणपुर	429	170	118	247.67
26	रायगढ़	1645	658	482	1838.8
27	रायपुर	2547	1167	906	3885.54
28	राजनंदगांव	1811	776	615	1542.51
29	सक्ती	356	130	50	155.37
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	257	73	19	91.02
31	सुकमा	277	88	63	104.8
32	सूरजपुर	1012	342	249	746.13
33	सरगुजा	1357	441	335	1068.02